

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्या: 03/2018

RCMS No:- 2018/00090

सरकार जरिये विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

श्री अंगदराम शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र जी शर्मा (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
मैसर्स श्री घनश्याम दास इण्डस्ट्रीज, सी-9 गायत्री नगर,
हरडी रोड, कानोता, जयपुर राजस्थान। 302012
निवासी:- 105, जैन कॉलोनी, कानोता, जयपुर।

... अप्रार्थी-अभियुक्त



परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 30/10/2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2017 को मैसर्स श्री घनश्याम दास इण्डस्ट्रीज सी-9, गायत्री नगर, हरडी रोड, कानोता, जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से श्री अंगदराम शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा (अप्रार्थी) उपस्थित मिले। अंगदराम शर्मा ने स्वयं को उक्त संस्थान का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना जाहिर किया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जो आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में Red Chilli Sauce (Kwality) आम जनता को विक्रय हेतु रखे है। इनका निरीक्षण करने पर एवं अमानक/मिसब्राण्ड का संदेह होने पर वास्ते नमूना जाँच, उपस्थित गवाहान की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता को सूचित करते हुए 4 पैक बोतल Red Chilli Sauce (Kwality) प्रत्येक 750 ग्राम वजनी वास्ते नमूना जांच खरीदी। जिसकी कीमत खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी को 100/- रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रापराईटर श्री अंगद राम शर्मा के हस्ताक्षर एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रतिया तैयार कर विक्रेता श्री अंगदराम शर्मा को फार्म संख्या 5 की एक प्रति देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीदशुदा 4 बोतल को मूल ही चार भाग में बांटकर प्रत्येक भाग पर लेबल चिपकाये जिस पर स्टेट डी. ओ. के कोड व सीरियल नम्बर ईई-1346 खाद्य पदार्थ Red Chilli Sauce (Kwality) का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी ने हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर



नमूना कोड एवं क्रमांक ईई-1346 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी लगाई एवं चारों पर नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की गयीं जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी जयपुर एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी जयपुर के पत्र क्रमांक 618 दिनांक 07.11.17 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2348/एक्ट/2017/2420 दिनांक 01.11.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया Red Chilli Sauce (Kwality) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.03.2018 को व्यक्तिशः जाकर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रापराईटर श्री अंगदरामशर्मा को जांच रिपोर्ट की प्रति देकर प्राप्ति रसीद ली गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जयपुर ने पत्र क्रमांक / एफएसएसए/सी.टी./2018/स्वीकृति/91 दिनांक 01.10.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ Red Chilli Sauce (Kwality) विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।



पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ Red Chilli Sauce (Kwality) सबस्टैण्डर्ड/मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगणों ने दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है पैकेजिंग एवं लेबलिंग स्तर खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना मिसब्राण्ड कर दिया गया। जबकि चारो नमूने मानक स्तर पर पूर्णतः उच्चतम गुणवत्ता के थे जो मानक स्तर पर सही पाये गये। पैकेजिंग मिस्टेक पर सुधार कर लिया गया है। धारा 52 में प्रथम बार मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों-अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर